

युवाओं में मादक पदार्थों का बढ़ता दुरुपयोग

प्रलिस के लिये:

[संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय \(UNODC\), विश्व ड्रग रिपोर्ट 2024, कैनबिस, NDPC अधिनियम, NCB, मादक पदार्थों के दुरुपयोग के नियंत्रण के लिये राष्ट्रीय कोष, मादक पदार्थों की मांग में कमी के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना](#)

मेन्स के लिये:

नशीली दवा: चुनौतियाँ, पहल, मादक पदार्थों के दुरुपयोग की समस्या और संबंधित पहल।

[स्रोत: हदुस्तान टाइम्स](#)

चर्चा में क्यों?

भारत के [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने युवाओं में बढ़ती मादक पदार्थों की लत पर चिंता व्यक्त करते हुए इसे एक पीढ़ीगत खतरा बताया है।

- यह चिंता पाकिस्तान से जुड़े हेरोइन तस्करी मामले में **राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA)** की जाँच का समर्थन करने वाले फैसले के दौरान सामने आई।
- न्यायालय ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग के बढ़ते खतरे से निपटने के लिये परिवारों, समाज और राज्य प्राधिकारियों की ओर **सतकाल सामूहिक कार्रवाई** की आवश्यकता पर जोर दिया।

विश्व में मादक पदार्थों के दुरुपयोग की स्थिति क्या है?

वैश्विक परिदृश्य:

- संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC)** द्वारा जारी **विश्व मादक पदार्थ रिपोर्ट, 2024** के अनुसार, वैश्विक मादक पदार्थ उपयोग करने वाले लोगों की संख्या **292 मिलियन तक पहुँच गई है**, जो पछिले दशक की तुलना में **20%** की वृद्धि को दर्शाता है।
- मादक पदार्थों की प्राथमिकताएँ:** कैनबिस सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली दवा (**228 मिलियन उपयोगकर्त्ता**) है, इसके बाद ओपिओइड (**60 मिलियन**), ऐम्फेटामिन (**30 मिलियन**), कोकोन (**23 मिलियन**) और **एक्स्टसी** (**20 मिलियन**) हैं।
- उभरते खतरे:** रिपोर्ट में सथिेटिक ओपिओइड के एक नए वर्ग, **नेटर्जिस** को एक महत्वपूर्ण खतरे के रूप में चिह्नित किया गया है, जो फॅटेनाइल से भी अधिक शक्तिशाली है, जो विशेष रूप से उच्च आय वाले देशों में ओवरडोज से होने वाली मौतों में वृद्धि में योगदान देता है।
 - फॅटेनाइल** एक ओपिओइड दवा है जिसका उपयोग **एनाल्जेसिक (दर्द नवारक)** और **एनेस्थेटिक के रूप में किया जाता है**।
 - उपचार अंतराल:** **64 मिलियन** मादक पदार्थों के उपयोग संबंधी विकारों वाले **11 में से केवल 1** व्यक्ति को ही उपचार मिलता है।
 - महिलाओं को अधिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है**, मादक पदार्थों के उपयोग से संबंधित विकारों से पीड़ित **18 में से केवल 1** महिला, जबकि **7 में से 1** पुरुष को ही उपचार मिल पाता है।

भारत में मादक पदार्थों का प्रचलन:

- मादक पदार्थों की लत:**
 - मादक पदार्थों की लत बढ़ रही है, **नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB)** के अनुसार भारत में लगभग **100 मिलियन** लोग विभिन्न नशीले पदार्थों से प्रभावित हैं।
 - उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब** जैसे राज्यों में वर्ष 2019 और 2021 के बीच **नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट (एनडीपीएस)** के तहत सबसे अधिक FIR दर्ज की गईं।
 - एल्कहॉलजिम** एक **दीर्घकालिक बीमारी** है जिसके कारण लोगों को शराब पीने की तीव्र इच्छा होती है और वे शराब पीने पर नियंत्रण नहीं रख पाते।
 - भांग:** लगभग **3.1 करोड़ लोग (2.8%)** भांग का सेवन करते हैं, जिनमें से **72 लाख (0.66%)** भांग से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे

हैं।

- **ओपओइड का उपयोग: 2.06%** जनसंख्या ओपओइड का उपयोग करती है, और लगभग **0.55%** (60 लाख) को ओपओइड नरिभरता के लिये उपचार सेवाओं की आवश्यकता है।
- **सीडेटीवि: 1.18 करोड़** (1.08%) व्यक्ति गैर-चिकित्सीय प्रयोजनों के लिये सीडेटीवि का उपयोग करते हैं।
- **इनहेलेंट:** इनहेलेंट का दुरुपयोग **1.7% बच्चों और कशिरों को प्रभावित करता है, जो वयस्कों में 0.58% की व्यापकता** से काफी अधिक है। लगभग **18 लाख बच्चों** को इनहेलेंट के दुरुपयोग की रोकथाम हेतु सहायता की आवश्यकता है।
- **इंजेक्शन द्वारा मादक द्रव्यों का प्रयोग:** लगभग **8.5 लाख** लोग मादक द्रव्यों का इंजेक्शन द्वारा प्रयोग करते हैं, जिनमें **पीपुल हू इंजेक्ट ड्रग्स (PWID)** कहा जाता है।
- **शराब:** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के भारत में **मादक द्रव्यों के सेवन की सीमा और पैटर्न पर 2019 के राष्ट्रीय सर्वेक्षण** के अनुसार, **10 से 75 वर्ष की आयु के 16 करोड़ लोग (14.6%)** वर्तमान में शराब का सेवन करते हैं। उनमें से 5.2% शराब पर नरिभरता से पीड़ित (ऐल्कहॉलज़िम) हैं।

प्रमुख मादक द्रव्य उत्पादक क्षेत्र:

- **गोल्डन क्रीसेंट:** अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान से मलिकर बना यह क्षेत्र अफीम उत्पादन का प्राथमिक केंद्र बना हुआ है, जिसका प्रभाव जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात जैसे भारतीय राज्यों पर पड़ता है।
- **गोल्डन ट्रायंगल:** लाओस, म्यांमार और थाईलैंड के इंटरसेक्शन पर स्थित यह क्षेत्र हेरोइन उत्पादन के लिये जाना जाता है जिसमें **म्यांमार** का विश्व के कुल हेरोइन उत्पादन में **80%** का योगदान है। इसकी तस्करी के मार्ग लाओस, वियतनाम, थाईलैंड और भारत से होकर गुजरते हैं।



मादक द्रव्य और पदार्थ के विभिन्न प्रकार क्या हैं?

प्रकार	अभलिक्षण
उत्तेजक	<ul style="list-style-type: none"> ■ उत्तेजक पदार्थ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करते हैं, जिससे सतर्कता और शारीरिक सक्रियता में वर्द्धन होता है। इनके कारण मूड स्वगि, अनदिरा, अनयिमति हृदय स्पंद और चिंता जैसी समस्याएँ हो सकती हैं। ■ उदाहरण: कोकीन, क्रैक, एम्फेटामाइनस, तथा एमाइल या ब्यूटाइल नाइट्राइट्स जैसे इनहेलेंट्स।
अवसादक:	<ul style="list-style-type: none"> ■ मद्य, बारबिटुरेट्स और ट्रैकवलिाइज़र जैसे अवसादक पदार्थ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को मंद कर देते हैं, जिससे शरीर शथिल हो जाता है। ■ मद्य के दुरुपयोग से बोलने में कठिनाई, स्मृत-लोप तथा गंभीर मामलों में अचेतनता या मृत्यु हो सकती है। ■ उदाहरण: बारबिटुरेट्स और ट्रैकवलिाइज़र
हैलुसिनोजन	<ul style="list-style-type: none"> ■ हैलुसिनोजन के उपयोग से मनुष्य की अनुभूति में परिवर्तन आता है, जिससे भावनात्मक उतार-चढ़ाव, व्यामोह, भ्रम और उलझन जैसी समस्याएँ होती हैं। हालाँकि ये शारीरिक रूप से व्यसनकारी नहीं हैं, लेकिन वे स्थायी मनोवैज्ञानिक नुकसान पहुँचा सकती हैं। ■ उदाहरण: LSD, एक्सटसी, साइलोसाइबिन (मैजिक मशरूम)।

वयोजनी औषधियाँ	<ul style="list-style-type: none"> वयोजनी औषधियाँ के उपयोग से शरीर और परविश से अलगाव की अनुभूति होती है जिससे गतिक कार्य बाधित होते हैं और भ्रम उत्पन्न होता है। उदाहरण: केटामाइन, डीएक्सएम (डेक्सट्रोमेथॉरफन)।
ओपियोइड	<ul style="list-style-type: none"> ये अत्यधिक व्यसनकारी हैं और दर्द से राहत एवं सुखाभास में मदद करती हैं। उदाहरण: हेरोइन, अफीम, औषधीय दर्द नवारक (जैसे, कोडीन, मॉर्फिन)।
इनहेलेंट	<ul style="list-style-type: none"> इनहेलेंट से सरिदर्द, मतली, समन्वय लोप और गंभीर मामलों में श्वासरोध या मौत हो सकती है। उदाहरण: गैसोलीन, पेंट थनिर, एमाइल नाइट्राइट।
कैनबिस	<ul style="list-style-type: none"> Cannabis sativa पौधे से प्राप्त कैनबिस का उपयोग प्रायः मारजुआना, हशीश और हैश ऑयल जैसे रूपों में किया जाता है। इसका दुरुपयोग स्मृति, एकाग्रता को कम करता है और व्यामोह, व्यसन एवं दीर्घकालिक संज्ञानात्मक समस्याएँ हो सकती हैं। उदाहरण: मारजुआना, हशीश, हैश ऑयल।

भारत में कनि कारणों से मादक द्रव्यों का दुरुपयोग बढ़ रहा है?

- साथियों का प्रभाव:** दोस्तों के साथ घुलने-मलने, वशेष रूप से हाई स्कूल और कॉलेज में, और सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने की इच्छा से प्रायः मादक द्रव्यों का सेवन शुरू किया जाता है।
- शैक्षणिक तनाव और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ:** शैक्षणिक रूप से उत्कृष्टता प्राप्त करने का दबाव, उच्च प्रतस्पर्द्धा के साथ मलिकर तनाव, चिंता और अवसाद का कारण बन सकता है।
 - कुछ युवा इन दबावों से नपिटने के लिये मादक द्रव्यों का उपयोग करते हैं।
- सांस्कृतिक मानदंड और मीडिया का प्रभाव:** मीडिया, फिलिमों और संगीत में मादक द्रव्यों के उपयोग को बढ़ावा देने से प्रायः युवा वर्ग के बीच मादक द्रव्यों के सेवन को सामान्य बना दिया जाता है, जिससे यह प्रचलन में आ जाता है या स्वीकार्य हो जाता है।
 - मादक पदार्थों के दुरुपयोग से नपिटने में राज्य प्राधिकारियों और स्थानीय सरकारों की सीमिति भूमिका से भारत में मादक पदार्थों का उपयोग बढ़ा है।
- सामाजिक-आर्थिक कारक:** गरीबी, बेरोजगारी, शैक्षणिक और मनोरंजक संसाधनों तक सीमिति पहुँच के कारण मादक द्रव्यों के सेवन की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि युवा लोग बचने या इससे नपिटने के लिये मादक पदार्थों का सहारा लेते हैं।
- पारिवारिक वातावरण:** अव्यवस्थित पारिवारिक गतिशीलता, माता-पति द्वारा मादक द्रव्यों के सेवन का दुरुपयोग, तथा भावनात्मक समर्थन का अभाव प्रायः युवाओं में मादक पदार्थों के उपयोग की उच्च दर से संबंधित है।
 - एक सहायक पारिवारिक वातावरण इन जोखिमों को कम कर सकता है।
- वधिक व्यवस्था की खामियाँ:** संगठित अपराध गरीह वधिक व्यवस्था की खामियों का फायदा उठाते हैं, जैसे ककिमजोर सीमा नयित्रण, ताकवि मादक पदार्थ की तस्करी कर सकें। ये प्रायः अफ्रीका और दक्षिण एशिया से व्यापार मार्गों का दुरुपयोग करके मादक पदार्थ की तस्करी करते हैं।
 - वर्ष 2023 में सीमा सुरक्षा बल ने भारत-पाकसितान सीमा पर मादक पदार्थों की ज़बती में 35% की वृद्धि की सूचना दी है, जो इन मार्गों के माध्यम से अवैध मादक पदार्थों के प्रवाह को नयित्त्रति करने में चल रही चुनौतियों पर प्रकाश डालता है।
- आसान उपलब्धता:** मादक पदार्थों की आसान उपलब्धता, वशेषकर पंजाब में, व्यापक दुरुपयोग को जन्म देती है।
 - पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रसिर्च (PGIMER) के वर्ष 2022 के अध्ययन के अनुसार पंजाब की लगभग 15.4% आबादी मादक पदार्थों का उपयोग करती है, और 3 मिलियन से अधिक लोग इससे प्रभावित हैं।
- सख्त कानूनों का भय:** NDPS अधिनियम जैसे सख्त कानून अभियोजन के भय से परिवारों को मादक पदार्थों के दुरुपयोग का खुलासा करने से हतोत्साहित कर सकते हैं, जिससे पुनर्वास के प्रयासों में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
 - इससे न केवल व्यक्तियों को सहायता लेने से रोका जाता है, बल्कि अवैध पदार्थों आपूर्ति शृंखला को भी जारी रहने दिया जाता है, जिससे भारत में मादक पदार्थों के दुरुपयोग में वृद्धि होती है।

भारत में मादक पदार्थों के दुरुपयोग से नपिटने के लिये सरकार के क्या उपाय हैं?

- वधियाँ उपाय:**
 - स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (NDPS) अधिनियम, 1985:** यह स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के उत्पादन, वनिरिमाण और तस्करी को नयित्त्रति करता है।
 - औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ के अवैध व्यापार की रोकथाम (PITNDPS) अधिनियम, 1988** मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग को नयित्त्रति करने एवं रोकने के लिये कानूनी ढाँचे को नयित्त्रति करते हैं।
- संस्थागत उपाय:**
 - राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA):** यह भारत में केंद्रीय आतंकवाद वरिधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है।

- यह मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेषकर जब इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता शामिल हो।
- यह अंतर-राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय संबंधों वाले मामलों की जाँच करता है, जिसमें आतंकवाद से जुड़े मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क, हथियारों की तस्करी और सीमापार से घुसपैठ शामिल हैं।
- यह अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ व्यापार को बाधित करने, अवैध शपिमेंट को ज़ब्त करने और तस्करी में शामिल संगठित अपराधिक सडिकेट को नष्ट करने के लिये अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करता है।
- राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो (NCB):
 - **NCB** भारत की एक नोडल ड्रग कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है। यह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करती है, और **सार्व ड्रग अपराध निगरानी डेस्क (SDOMD)** जैसी पहलों में भाग लेती है।
- अन्य प्रवर्तन एजेंसियाँ: **राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI)**, सीमा शुल्क विभाग और विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिये मलिकर काम करती हैं।
- नविकारक और पुनर्वास उपाय:
 - मादक पदार्थों की मांग में कमी के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPDDR): **NAPDDR** योजना जागरूकता अभियानों, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, नशामुक्त और पुनर्वास सेवाओं के माध्यम से मादक पदार्थों की मांग को कम करने पर केंद्रित है।
 - नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA): **NMBA** को विशेष रूप से स्कूली बच्चों के बीच मादक पदार्थों के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये शुरू किया गया था।
 - नदिन और NCORD पोर्टल: **नदिन और NCORD पोर्टल** ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो मादक पदार्थों के अपराधियों का वसित डेटाबेस बनाए रखते हैं, और मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों और प्रवृत्तियों पर नज़र रखने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता करते हैं।
- वशिष्ट पहल:
 - प्रोजेक्ट सनराइज (वर्ष 2016):
 - **प्रोजेक्ट सनराइज** पूर्वोत्तर राज्यों में मादक पदार्थों का इंजेक्शन लेने वाले लोगों में HIV के बढ़ते प्रसार की समस्या से निपट रहा है।
 - नशा मुक्त भारत:
 - **नशा मुक्त भारत** एक राष्ट्रव्यापी अभियान है, जो मादक पदार्थों के उपयोग और इसके सामाजिक परिणामों को रोकने के लिये सामुदायिक पहूँच पर केंद्रित है।
 - ज़बती सूचना प्रबंधन प्रणाली (SIMS):
 - NCB द्वारा ऑनलाइन डेटाबेस के माध्यम से मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों और अपराधियों पर नज़र रखने के लिये **समिस पोर्टल वकिसति कथिा गया था।**
 - नशामुक्ता केंद्र:
 - **AIIMS** में राष्ट्रीय नशा नरिभरता उपचार केंद्र (NDDTC) जैसी संस्थाओं के साथ राज्य द्वारा संचालित केंद्र (जो नशे के आदी लोगों के लिये परामर्श, चिकित्सा उपचार और सामाजिक पुनः एकीकरण की सुविधा प्रदान करते हैं) स्थापित किये गए हैं।

आगे की राह

- वर्तमान कानूनों को मज़बूत करना: बेहतर प्रशिक्षण, संसाधनों एवं आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से **NDPS** तथा **PITNDPS** अधिनियमों के कार्यान्वयन को मज़बूत बनाना चाहिये।
 - **डंडात्मक उपायों के साथ-साथ पुनर्वास को एकीकृत करने**, प्रवर्तन को मज़बूत करने एवं **स्थानीय, राज्य तथा केंद्रीय अधिकारियों के बीच समन्वय में सुधार** करने के लिये **NDPS अधिनियम पर पुनर्विचार** करने की आवश्यकता है।
- एकीकृत नीति दृष्टिकोण: सरकार को एकीकृत नीतियाँ वकिसति करनी चाहिये जिससे मादक पदार्थों के दुरुपयोग के मूल कारणों को हल किया जा सके जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्र शामिल हों।
 - दवा प्रवृत्तियों एवं हस्तकषेप कार्यक्रमों की **प्रभावशीलता पर नज़र रखने** के लिये नरितर अनुसंधान आवश्यक है, जिससे **डेटा-आधारित नीति समायोजन** संभव हो सके।
- नशामुक्ता केंद्र और शविरि: ज़िला स्तर पर नशामुक्ता केंद्रों की स्थापना के साथ सरकारी एजेंसियों द्वारा **पुनर्वास शविरि के आयोजन** से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता मलि सकती है।
 - **दीर्घकालिक सुधार** के साथ बीमारी के दोबारा होने की रोकथाम के लिये **देखभाल के बाद परामर्श एवं पुनर्वास** प्रयास आवश्यक हैं।
- शिक्षा एवं जागरूकता: **स्कूलों को अपने पाठ्यक्रम में मादक पदार्थों के सेवन के बारे में शिक्षा** को शामिल करना चाहिये तथा वदियार्थियों को छोटी उम्र से ही मादक पदार्थों के सेवन के जोखमि एवं परिणामों के बारे में बताना चाहिये।
 - नागरिक समाज एवं धार्मिक नेता **स्कूलों तथा समुदायों में जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने**, स्वस्थ विकल्पों को बढ़ावा देने तथा एथलीटों एवं अभिनेताओं जैसे **रोल मॉडल को शामिल** करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।
- अंतरराष्ट्रीय सहयोग: प्रभावी सूचना साझाकरण एवं तस्करी वरिधी उपायों के लिये **पड़ोसी देशों तथा UNODC** और **इंटरपोल** जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ **संबंधों को मज़बूत** करना चाहिये।
- प्रौद्योगिकी का उपयोग: मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क पर नज़र रखने तथा अवैध मादक पदार्थों के उत्पादन वाले क्षेत्रों की निगरानी करने के लिये **AI, बगि डेटा एवं ड्रोन** का उपयोग करना चाहिये। मादक पदार्थों से संबंधित गतिविधियों के लिये ऑनलाइन रपिपोर्टिंग सिस्टम स्थापित करना चाहिये।

नषिकर्ष

संवधान के अनुच्छेद 47 में लोक स्वास्थ्य में सुधार के क्रम में हानिकारक पदार्थों के नषिध का आह्वान किया गया है। मादक पदार्थों के खतरे से प्रभावी ढंग से नषिटने के लिये भारत को मज़बूत वनियमन एवं उन्नत वधिकि तंत्र के साथ राज्यों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है। इसके साथ ही इसकी रोकथाम, इसमें शामिल लोगों के पुनर्वास तथा सख्त प्रवर्तन पर केंद्रति एक व्यापक राष्ट्रीय नीति तैयार करना आवश्यक है।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में मादक पदार्थों के दुरुपयोग के मुद्दे पर चर्चा कीजिये। मादक पदार्थों के दुरुपयोग की समस्या से नषिटने हेतु कुछ उपाय बताइये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

????????

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजिये: (2019)

1. भरषटाचार के वरिद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन [यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन (UNCAC)] का 'भूमि, समुद्र और वायुमार्ग से प्रवासियों की तस्करी के वरिद्ध एक प्रोटोकॉल' होता है।
2. UNCAC अब तक का सबसे पहला वधिति: बाध्यकारी सार्वभौम भरषटाचार-नरिधी लखित है।
3. राष्ट्र-पार संगठति अपराध के वरिद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन [यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनैशनल ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम (UNTOC)] की एक वशिषिटता ऐसे एक वशिषिट अध्याय का समावेशन है, जसिका लक्ष्य उन संपत्तियों को उनके वैध स्वामियों को लौटाना है जनिसे वे अवैध तरीके से ले ली गई थीं।
4. मादक द्रव्य और अपराध वषियक संयुक्त राष्ट्र कार्यालय [यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम (UNODC)] संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा UNCAC और UNTOC दोनों के कार्यान्वयन में सहयोग करने के लिये अधदिशति है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 2, 3 और 4
- (c) केवल 2 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (c)

????

Q. संसार के दो सबसे बड़े अवैध अफीम उगाने वाले राज्यों से भारत की नकिटता ने भारत की आंतरकि सुरक्षा चत्तिओं को बढा दिया है। मादक पदार्थों के अवैध व्यापार एवं बंदूक बेचने, गुपचुप धन भेजने और मानव तस्करी जैसी अवैध गतविधियों के बीच कड़ियों को स्पष्ट कीजिये। इन गतविधियों को रोकने के लिये क्या-क्या प्रतरिधी उपाय किये जाने चाहिये? (2018)